<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>19.11.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर उप-आंचलिक कार्यालय ने महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में स्थित विभिन्न रेत घाटों से अवैध रेत खनन एवं परिवहन से संबंधित जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग **16.23 करोड़ रुपये** मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में उच्च श्रेणी के वाहन, भूखंड, भवन, फ्लैट, वाणिज्यिक दुकानें, फार्महाउस आदि सहित विभिन्न चल एवं अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी पहचान संगठित सिंडिकेट द्वारा अवैध रेत खनन गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्तियों के रूप में की गई है।

जांच के दौरान, ईडी ने इससे पूर्व विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए थे, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेजों, अभिलेखों, डिजिटल उपकरणों और नकदी की बरामदगी एवं जब्ती हुई थी। इसके अतिरिक्त, बैंक खातों में जमा राशि, उच्च श्रेणी के वाहन, जेसीबी मशीनें और पोकलैंड मशीनें सहित चल संपत्तियों को भी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत फ्रीज किया गया था। 16.23 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की नवीनतम अनंतिम कुर्की के साथ, इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज एवं अनंतिम रूप से कुर्क की गई अपराध की आय का कुल मूल्य **20 करोड़ रुपये** से अधिक हो गया है। इन संपत्तियों का कुल वर्तमान बाजार मूल्य **50 करोड़ रुपये** से अधिक होने का अनुमान है।

ईडी की जांच नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपले एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। उन पर जाली एवं फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) का उपयोग करके अवैध रूप से रेत निकालने, परिवहन करने और बेचने के माध्यम से संगठित अवैध रेत खनन गतिविधि संचालित करने का आरोप था।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि संगठित रेत माफिया सिंडिकेट, परिवहनकर्ताओं एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलीभगत करके नागपुर और आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेती घाटों से अनुमत क्षेत्रों एवं मात्रा से अधिक अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे थे। ऐसी अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन एवं बिक्री को सुगम बनाने के लिए सिंडिकेट ने मध्य प्रदेश में कानूनी रूप से पट्टे पर दिए गए रेत घाटों के संबंध में कथित रूप से जारी किए गए फर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (ई-टीपी) 6,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति पास की दर से प्राप्त किए। इन जाली ई-टीपी का उपयोग अवैध रूप से उत्खनित रेत को मध्य प्रदेश के अधिकृत रेत घाटों से प्राप्त रेत के रूप में गलत तरीके से दर्शाने के लिए किया गया, जिससे उसके परिवहन एवं बिक्री को वैधता का आभास दिया जा सके। यद्यपि ई-टीपी में उल्लिखित वाहन पंजीकरण नंबर वास्तविक थे और सरकारी पोर्टल पर भी दर्ज थे, तथापि जीपीएस डेटा के विश्लेषण से यह स्थापित हुआ कि उक्त वाहन न तो मध्य प्रदेश के कथित रेत घाटों पर गए थे और न ही ई-टीपी में दर्शाए गए मार्गों का अनुसरण किया था। इसके बजाय, वे नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रेत खनन स्थलों से बार-बार आवाजाही करते पाए गए। यह कार्यप्रणाली जानबूझकर अवैध रूप से उत्खनित रेत के वास्तविक स्रोत को छिपाने तथा लागू रॉयल्टी और करों का भुगतान किए बिना उसके परिवहन एवं व्यावसायिक निपटान को सुगम बनाने के लिए अपनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।